

अज अदालत अपर जिला कलक्टर मुकाम सीकर

खेताराम बनाम उप तहसीलदार

किस्म मुकदमा:- प्रार्थना पत्र

मु0न0 16 / 2018

|            |   |   |
|------------|---|---|
| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स  | नम्बर वतारीख अहकामजो इस हुकमकी तामील में जारी हुए |
| 06.03.2018 | <p>प्रार्थी की ओर से वकील श्री सांवरमल उपस्थित।</p> <p>प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र स्थगन बाबत न्यायालय उप तहसीलदार अजीतगढ़ के निर्णय दिनांक 29.01.2018 अनुवानी सरकार बनाम खेताराम की क्रियान्विति स्थगित रखी जाने हेतु पेश किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस एकपक्षीय सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने अन्तरिम स्थगन हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी ने पत्रावली पर उपलब्ध नक्शे के अनुसार उक्त अतिक्रमित भूमि आबादी भूमि में से होना बताया, लेकिन जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 के अनुसार अतिक्रमित भूमि की किस्म चारागाह दर्ज है। चारागाह भूमि राजकीय एवं प्रतिबंधित भूमि है। जिस पर अपीलांट को अतिक्रमण करने का कोई हक अधिकार नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सिविल अपील नम्बर 1132/2011 जगपालसिंह बनाम पंजाब राज्य में पारित निर्णय दिनांक 28.01.2011 द्वारा चारागाह भूमि/जोहड़ पायतान और तालाबों की भूमियों पर आवंटन/नियमन किया जाना अवैध है। इस स्थिति में चारागाह भूमि में अतिक्रमण पूर्णतः अवैध है। अतः प्रथमदृष्टा अन्तरिम स्थगन दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।</p> <p>प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थी को नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 04.04.2018 को पेश हो।</p> <p>अति. जिला कलक्टर, सीकर</p> <p>सत्यमेव जयते</p> <p>4/4/18 वकील प्रार्थी उपस्थित। दूर पत्रावली के साथ दि. 20/4/18 को पेश है।</p> <p>20/4/18 वकील प्रार्थी उपस्थित। दूर पत्रावली के साथ दि. 24/4/18 को पेश है।</p> <p>24/4/18 वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र से संबंधित अपील का विस्तारण का पुडा बड केब प्रार्थना पत्र के कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।</p> |   |

कतः प्राचीन-पत्र स्वगत वसी स्तर पर आरिण  
किला जाला ई चक्रवर्ती फलल सुगत टोडर बड  
नकिल दूर कपिल के सलगत रथे



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official